संख्या ई-11011/18/2012-हिंदी
भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
(वित्त प्रभाग)

130 बी-विंग, सेना भवन, नई दिल्ली,
दिनांक 16 अक्टूबर, 2012

सेवा में,

श्री आर.पी .सिंह,भा0र0ले0से0,
रक्षा लेखा वरिष्ठ उपमहानियंत्रक (प्रशा.),
कार्यालय रक्षा लेखा महानियंत्रक,
उलन बटार मार्ग, पालम,
दिल्ली छावनी -110010

विषय:- हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी तिमाही प्रगति रिपोर्ट का संशोधित प्रोफार्मा ।

महोदय,

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग ने दिनांक 27.2.2012 के कार्यालय ज्ञापन सं0 20003/3/2011/रा0भा0/का .2 के द्वारा हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में संशोधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट का प्रोफार्मा प्रेषित किया है ।

मुझे संशोधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति भेजने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि संशोधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट की प्रतियां अपने सभी रक्षा लेखा नियंत्रक एवं उनके अधीनस्थ कार्यालयों को भिजवाएं ताकि अगली तिमाहियों की रिपोर्टें नए प्रोफार्मा में राजभाषा विभाग को भेजी जा सकें ।

भवदीय

नरेन्द्र नाथ त्रिपाठी

(नरेन्द्र नाथ त्रिपाठी)
सहायक निदेशक (रा.भा.)
दूरभाष: 23013395

सं.20005/3/2011/रा.भा./का-2 क्रमांक - 2 (संलग्न)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

***

द्वितीय तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट

नई दिल्ली110 003 दिनांक : 27 फरवरी, 2012

कार्यालय ज्ञापन

विषय : राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट के संशोधित प्रोफार्मा का प्रेषण ।

कृपया इस विभाग के दिनांक 15 दिसंबर, 2010 के कार्यालय ज्ञापन सं.20014/05/2006 रा.भा./का-2 का अवलोकन करें जिसके तहत शीर्षांकित रिपोर्ट का प्रोफार्मा प्रेषित किया गया था ।

2. राजभाषा विभाग में गहन-विचार विमर्श के उपरांत उक्त प्रोफार्मा को संक्षित और सरल किया गया है। भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे वर्ष 2012-13 के प्रथम तिमाही (जून 2012 को समाप्त होने वाली तिमाही) और उसके बाद की तिमाहियों की रिपोर्ट संशोधित प्रोफार्मा में प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के एक माह के अंदर राजभाषा विभाग को ई-मेल से भेजें और इस प्रोफार्मा को अपने संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों को भेजते हुए निदेश दें कि वे अपनी रिपोर्ट अपने नियंत्रक कार्यालयों को भेजने के साथ-साथ उसकी प्रति राजभाषा विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय को भी ई-मेल से भेजें ।

3. प्रोफार्मा भेजने हेतु ई-मेल का पता dirimp_ol@nic.in

4. यह प्रोफार्मा राजभाषा विभाग के वेबसाइट rajbhasha.gov.in पर उपलब्ध है ।

5. यह प्रोफार्मा सचिव, राजभाषा विभाग के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है ।

(डॉ जयप्रकाश कर्दम)
निदेशक (कार्यान्वयन)
फोन : 2462 3622

प्रतियां:

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभागों के संयुक्त सचिव (प्रशासन) ।
2. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का कार्यालय, 9 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली ।
3. संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली ।
4. भारत निर्वाचन आयोग, अशोक रोड, नई दिल्ली ।
5. राजभाषा विभाग के अधीन आठों क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय को इस निदेश के साथ कि वे इसे अपने कार्यक्षेत्र में आने वाली सभी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को उपलब्ध करवा दें ।
6. केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, सीजीओ कांप्लेक्स, नई दिल्ली ।
7. केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, सीजीओ कांप्लेक्स, नई दिल्ली ।